


24.10.22

वादीया वकील द्वारा प्रार्थना पत्र मूल
 वाद विद्वा करने पेश करने पर
 पत्रावली मूल वाद के साथ आज
 पेश हुयी। प्रार्थना के वकील उपर
 प्रार्थना के वकील ने मूल वाद विद्वा
 कर लिया है, इस कारण इस प्रार्थना
 के चलने का कोई अर्थ नही है
 इस प्रार्थना स्वीकार किया जाता है
 पत्रावली के अन्तर्गत इसी मूल के
 रूप में तथा शांति मूल वाद है


 उप सचिव अधिकारी
 उन्नाव